

**President**  
**Kuldip Singh Dhingra**  
(Sukhsarvar Farm)

**Vice President.**  
**Bishan Singh Bedi**  
(Cricket Abode)

**General Secretary**  
**Vinod Kumar Jain**  
(Vindhyachal Farm)

**Jt. Secretary**  
**Satish Sawhney**  
(Krishna Sawhney Farm)

**Treasurer.**  
**Ms. Indi Brar**  
(Greenfield Farm)

4/April, 2012

Mrs. Kanwaljeet Seth  
Dy. Director Planning (South Zone)  
Delhi Development Authority  
4th Floor, Dir-Area-U-1  
Vikas Minar  
New Delhi.

By Hand

F.I.

Read Central Dy. No. 15  
Dated 9/4/12  
R&D Section, Vikas Minar  
Delhi Development Authority  
Leaving Assent

**Sub: Round Table on Review of Master Plan for Delhi-2021**

**Reg. : J-Zone**

Madam,

OFFICE OF THE DIR (Pig.)  
MPR/TO, D.D. & W DELHI-2  
Dy. No. 3572  
Dated 20/5/12

J Zone is full of hundreds of farm houses, most of them with Sanctioned Plans, where people are already residing since many years. To avoid widespread disruption in the lives of large number of citizens, it may be prudent to think of J Zone as a low density population area, with stipulations for large number of designated type of trees in the interest of Delhi's environment. Consequently, the width and location of the heavy duty facility corridor in the South needs a review. It should be of size and location keeping in view it's relevance for Low Density J Zone. Pertinent is the 80 Metre R/W Facility Corridor is the South. The portion running West to East, need not be so wide for a Low Density Area. Secondly, it should be further moved South in a manner, that it encroaches absolutely to the minimum, on private lands, to avoid too much dislocation, agony and legal hurdles, huge financial compensations and so on. There is a large Regional Park in the South. The road/corridor should be moved South, so that it passes through the Regional Park to maximum, which will avoid a lot of contentious and costly issues, as well as humanitarian distress. From the West, it should be from the

0538/DD/AU  
10/04/12

05/MAR-38  
10.4.12

**President**

**Kuldip Singh Dhingra**

(Sukhsarvar Farm)

**Vice President.**

**Bishan Singh Bedi**

(Cricket Abode)

**General Secretary**

**Vinod Kumar Jain**

(Vindhyachal Farm)

**Jt. Secretary**

**Satish Sawhney**

(Krishna Sawhney Farm)

**Treasurer.**

**Ms. Indi Brar**

(Greenfield Farm)

-2-


outer periphery (West) of the City Park and then it should move South and should be moved about 600 Metres to the South, say in a loop, to avoid the private lands. The road should be planned in a way to use Regional Park and other such public lands in the vicinity.

To explain the point better, we are enclosing the J Zone land use (Draft) Plan. The portions of such Facility Corridor shown by us, as going from D to C, we are requesting be moved South in a loop shown as P. It should also be much narrower as earlier explained.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Jaunapur Gadaipur Welfare Association



(Kuldip Singh Dhingra)

President

Encl : Copy of J Zone (Draft) Plan with our suggested changes in the South Facility Corridor.



## देश

# 'जनता की सहमति से देन प्रोजेक्टों को मंजूरी'

वरिष्ठ संवाददाता ॥ नई दिल्ली

यहां जुटे 100 एनजीओ के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में मांग की है कि किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरणीय या वन संबंधी मंजूरी जनता की सहमति के बाद ही दी जाए। सीएसई की ओर से आयोजित 'अनिल अग्रवाल डायलॉग' में शिरकत करते हुए उन्होंने अफसोस जताया कि पर्यावरण की अनदेखी करते हुए परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी जा रही है।

8,284 प्रोजेक्टों को मंजूरी : सीएसई की डायरेक्टर जनरल सुनीता नारायण ने कहा कि उद्योगों से आरोप लगा रहे हैं कि पर्यावरणीय मंजूरी न मिलने या इसमें देरी से प्रोजेक्ट लगाने में दिक्कत

आ रही है। हकीकत यह है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 5 बरस में 8,284 परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दी और 2,03,576 हेक्टेयर वन भूमि का लैंड यूज बदल दिया।

**पर्यावरण पर बुरे प्रभाव से  
चितित्त सौ एनजीओ की मांग**

अधक का  
अवैध खनन :  
झारखंड से आए  
अमित ने कहा कि

कोडरमा क्षेत्र में 20 साल से अधक का अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है। गोवा में 816 पट्टे : गोवा के रमेश ने कहा कि वहां खनन के लिए 816 पट्टे दिए गए हैं। बेल्लारी में अवैध खनन के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले एस. आर. हिरमठ और अन्य कई वक्ताओं का कहना था कि विकास के नाम पर की जा रही तबाही को रोकने के लिए आम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा।

**अनुभाग  
जधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**  
23324037 ई-मेल: fasdsw@gmail.com

## ना

डाकघर में हैं, को सूचित किया जाता है कि वे अपने वृद्धावस्था पेंशन क की शाखा का नाम और एमआईसीआर कोड नंबर अपने निकटतम न जमा करा दें। यदि 29 फरवरी, 2012 तक अंतरण नहीं कराया जाता

3. राशन कार्ड इत्यादि तथा सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपियां।

## नेर्वाचन क्षेत्र (निर्वाचन क्षेत्र सं.)

टिया महल (21), बल्लिमारान (22), करोल बाग (23),  
टेल नगर (24), राजेन्द्र नगर (39)

तेमारपुर (03), सदर बाजार (19), चांदनी चौक (20),  
जीरपुर (17), मोती नगर (25)

रेठाला (06), मुडका (08), किराड़ी (09), सुल्तानपुर माजरा (10),  
गोलपुरी (12), रोहिणी (13), शालीमार बाग (14),  
प्रकूर बस्ती (15), त्री नगर (16),  
रेला (1), बुराड़ी (02), आदर्श नगर (4), बादली (5),  
वाना (7), मॉडल टाउन (18)

त्रेलोक पुरी (55), कौडली (56), पटपड़गंज (57),  
शमी नगर (58), विश्वास नगर (59), कृष्णा नगर (60),  
गंधी नगर (61), शाहदरा (62),  
उत्तम नगर (32), द्वारका (33), मटियाला (34), नजफगढ़ (35),  
बेजवासन (36), पालम (37), दिल्ली कैन्ट (38),  
प्रार.के. पुरम (44), महारौली (45),  
नई दिल्ली (40), जंगपुरा (41), कस्तूरबा नगर (42)

# तीन एन गड़ब

एजेंसियां ॥ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आरोप को आगे बढ़ाते हुए पीएमओ में केंद्रीय राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने शनिवार को कहा कि तीन गैरसरकारी संगठन (एनजीओ) तमिलनाडु के कुडनकुलम में परमाणु विरोधी अभियान में विदेशी राशि का इस्तेमाल करते हुए आए गए।

लाइसेंस रद्द : कुडनकुलम क्षेत्र में सक्रिय तीन एनजीओ के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इनके लाइसेंस तब रद्द किए गए, जब गृह मंत्रालय की जांच में यह बात सामने आई कि वे परमाणु विरोधी प्रदर्शनों को भड़काने के लिए उस कोष का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया था। इन एनजीओ को विदेशों से सामाजिक कार्यों जैसे शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की सहायता करने और कुष्ठ रोग निवारण के लिए धन मिल रहा था, लेकिन इनकी ओर से इस धन का इस्तेमाल परमाणु विरोधी प्रदर्शनों के लिए किया गया।



नगर क्षेत्र में सीवर लाइनों की सफाई कराये जाने हेतु प्रतिपूर्ति हेतु अनुमति, सक्षम एवं संसाधनयुक्त फर्नीचर 27.02.12 से 03.03.12 तक अपराह्न 2.00 बजे तक के बैंक, कस्टोडियन नगर, वृज्या नेशनल बैंक, वसुधैव कुटुम्बकम् [www.gnn.in](http://www.gnn.in) से डाउनलोड किया जा सके में रखे निविदा बावस में डाली जायेगी। प्राप्त निविदा के समस्त अंकित शरीर राशि को लेखधिका, नगर रूप में निविदा के साथ संलग्न करनी आवश्यक जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार

| क्र. सं. | कार्य का विवरण   |
|----------|--|
| 1.       | नगर क्षेत्र में सीवर लाइन सफाई का संचालन, सहायक उपकरणों की आपूर्ति |

नोट : निविदा सम्बन्धी समस्त विवरण किसी भी जलकल विभाग में ज्ञात किया जा सकता है।

## एनालिस राष्ट्रीय उपज प

कृषि एवं सहकारिता विभाग  
अवस्थित नई दिल्ली हेतु प्रोफेशनल प्रा. लि. को नियुक्त किया है:

1. एग्रोनॉमी/कॉप फिजियोलॉजी/सॉसिंग/जीआईएस के क्षेत्र में ए